रजिस्ट्री संöMhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-

çkf/dkj ls çdkf'kr
PUBLISHED BY
AUTHORITY

la- 80] No. ubZ fnYyh] c`gLifrokj]ekpZ 12] 2015@iQkYxqu 21] 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

;भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राध्किरणद्ध

vf/lwpuk

ubZ fnYyh] 12 ekpZ] 2015

iQk- la-- 1&62@,iQ,l,l,@2014&Mh,iQD;wlh-—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राध्किरण ;केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रियाद्ध विनियम, 2010 का संशोध्न करने के लिए कतिपय विनियमों का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अध्f िनयम, 2006 ;2006 का 34द्ध की धरा 11 की उप-धरा ;1द्ध और धरा 92 की उप-धरा ;2द्ध के खंड ;खद्ध केी अपेक्षानुसार ;भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राध्किरणद्ध की अध्सिूचना सं. पफा. सं.. 1-62/एपफएसएसए/2014-डीएपफक्यूसी तारीख 8 अगस्त, 2014 द्वारा भारत के राजपत्रा, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में तारीख 2 जून, 2014 को उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उनसे प्रभावित होना संभाव्य हैं, उस तारीख से, जिसको उक्त अध्सिूचना वाली राजपत्रा की प्रतियां जनता को उपलब्ध् करवाई गई थी, तीस दिन की अवध् िकी समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रा ित करने के लिए प्रकाशित किया गया था ऋ

और उक्त राजपत्रा की प्रतियां 8 अगस्त, 2014 को जनता को उपलब्ध् करा दी गई थी ऋ

और उक्त प्रारूप विनियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राध्किरण द्वारा विचार कर fy;k x;k gS _

अतः अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राध्किरण, उक्त अध्f िनयम की धरा 11 की उप-धरा ;5द्ध के साथ पठित धरा 92 की उप-धरा ;2द्ध के खंड ;खद्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राध्किरण ;केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रियाद्ध विनियम, 2010 का संशोध्न करने निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:µ

1-संक्ष्ि ाप्त नाम और प्रारंभ.—(1)इन नियमों का संक्ष्ि ाप्त नाम भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राध्किरण ;केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रियाद्ध संशोध्न विनियम, 2015 है ।

;2द्ध ये उनके राजपत्रा में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राध्किरण ;केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रियाद्ध विनियम, 2010 में,µ

(d) fofu;e 2 ds i'pkr~ fuEufyf[kr fofu;e var%LFkkfir fd;k tk,xk] vFkkZr~%µ

^^**2क. सदस्यों की नियुक्ति और पदावध्-ि** खाद्य उद्योग, कृषि उपभोक्ता, सुसंगत अनुसंधन निकायों और खाद्य प्रयोगशालाओं से सुसंगत अनुभव रखने वाले सदस्यों की खाद्य प्राधिकारी द्वारा उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की कालावध् िके लिए नियुक्ति की जाएगी और वह तीन वर्ष की और कालावध् िके लिए पुनः नियुक्ति के पात्रा होंगे ।'',

;खद्ध विनियम 16 में ''16. व्ययों की प्रतिपू£त'', अंकों और शब्दों के स्थान पर ''14. व्ययों की प्रतिपू£त'', अंक और शब्द रखे tk,axs A

यु(वीर ¯सह मलिक, मुख्य कार्यकारी अध्किारी

fVIi.k% मूल विनियम भारत के राजपत्रा, असाधारण में अधि्सूचना सं.. 1-61/एपफएसएसए/2009-डीएपफक्यूसी तारीख 4 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2015

F.No. 1-62/FSSA/2014-DFQC.—Whereas the draft of certain regulations to amend the Food Safety and Standards Authority of India (Procedure for Transaction of Business of the Central Advisory Committee) Regulations, 2010, was published as required under sub- section (1) of section 11 and clause (b) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F.No. 1-62/FSSA/2014-DFQC dated the 8th August, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part Ill, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 92 read with sub-section (5) of section 11 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards Authority of India (Procedure for Transaction of Business of the Central Advisory Committee) Regulations, 2010, namely:-

1. Short title and commencement.— (1)These regulations may be called the Food Safety and Standards Authority of India (Procedure for Transaction of Business of the Central Advisory Committee) Amendment Regulations, 2015.

2. In the Food Safety and Standards Authority of India (Procedure for Transaction of Business of the Central Advisory Committee) Regulations, 2010, -

(a) after regulation 2, the following regulation shall be inserted, namely:-

"2A. Appointment of members and tenure.- The members from the food industry, agriculture,consumers, relevant research bodies and food laboratories with relevant expertise shall be appointed by the Food Authority for a period of three years from the date of their appointment and shall be eligible for re-appointment for a further period of three years";

(b) In regulation 16, for the figures and words "16. Reimbursement of expenses", the figures and words "14. Reimbursement of expenses" shall be substituted.

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer

Note.—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 1-61/FSSA/2009-DFQC, dated the 4th March, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.